

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 10/03/2022

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रुपये 398.000 लाख (रुपये तीन करोड़ अठानबे लाख मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 18/28.10.2021 (Online AA- 1220/ 02.11.2021) एवं 51/24.09.2019 (Online AA- 1463/ 25.09.2019)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020079620000545	398.000
आवंटित राशि - रुपये तीन करोड़ अठानबे लाख मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक में प्रत्यर्पण के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध राशि रु. 500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-14 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 321

राँची, दिनांक :- 10/03/2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गुमला/खूँटी/सिमडेगा/चाईबासा/जमशेदपुर/लातेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 321

राँची, दिनांक :- 10/03/2022

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

दिनांक 10/03/2022

321

विभागीय पत्रांक

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

बजट उपबंध (2021-22) - रूपये 500.00 लाख (रूपये पाँच करोड़) मात्र

विपत्र कोड- 50S47020079620000545

उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजना का प्रस्ताव (राशि लाख रुपये में)														
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण														
बजट उपबंध (2021-22) - रुपये 500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़) मात्र														
विपत्र कोड- 50S47020079620000545														
क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			वर्ष 2021-22 में	योजना पर कुल आवंटन (9+12)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति			
					प्रस्ता	राशि	Online प्रस्ता							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		गुमला	रायडीह	मरियम टोली मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	79.3100	1220 / 02.11.2021	0.000	0.000	180.000	180.000	180.000	85506	
1		गुमला	रायडीह	शाहीटोली मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		130.3300		0.000	0.000					
2		गुमला	रायडीह	पनडरनी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		90.7550		0.000	0.000					
3		गुमला	भरनो	खिजरी बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		108.9390		0.000	0.000					
4		गुमला	भरनो	केराझरिया मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		181.5010		0.000	0.000					
5		गुमला	घाघरा	चित्रगुडू मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	161.9100	1220 / 02.11.2021	0.000	0.000	180.000	180.000	180.000	85506	
6		गुमला	सिसई	असनी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		162.1010		0.000	0.000					
7		गुमला	गुमला	लोहारो नाला मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		170.6230		0.000	0.000					
8		गुमला	पालकोट	सेसा नाला मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		177.1080		0.000	0.000					
9		गुमला	जारी			1,262.577		0.000	0.000					
योग :-														
(प्रशात कुमार)														

योग :-

321

(राम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति										अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	मार्च 2021 तक व्यय	वर्ष 2021-22 में			योजना पर कुल आवंटन (9+12)	Online Allotment Access No.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी (RNCIRRK01)	खूँटी	अड़की	सोसोकुटी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	253.262	1220 / 02.11.2021	0.000	0.000	49.000	49.000	49.000	85510		
11			अड़की	पुरानानगर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		84.650		0.000	0.000						
						337.912		0.000	0.000	49.000	49.000	49.000			
योग :-															
12	लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा (SDGMIR001)	सिमडेगा	देवईटांगर	टांगर टोली मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	87.650	1220 / 02.11.2021	0.000	0.000	80.000	80.000	80.000	85514		
13		सिमडेगा	देवईटांगर	कुरुमडेगी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	112.259		0.000	0.000						
14		सिमडेगा	कुरुडेगा	लवडेरा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		219.877		0.000	0.000						
15		सिमडेगा	कुरुडेगा	वनझरिया मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		121.169		0.000	0.000						
						540.955		0.000	0.000	80.000	80.000	80.000			
योग :-															
16	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा (SGHMIR002)	प० सिंहभूम	तांतनगर	पारसी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	97.800	1220 / 02.11.2021	0.000	0.000	9.000	9.000	9.000	85517		
17		प० सिंहभूम	मनोहरपुर	बड़पोस मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	94.511		0.000	0.000						
18		प० सिंहभूम	मनोहरपुर	कुरुथा बेड़ा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	39.896		0.000	0.000	9.000	9.000	9.000			
19		प० सिंहभूम	सोनूआ	चान्दीपोस मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	89.343		0.000	0.000						
20		प० सिंहभूम	कुमारडुंगी	बिहारटुटी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	24.852		0.000	0.000						
21		प० सिंहभूम	चक्रधरपुर	धनगाँव-01 मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	23.419		0.000	0.000						
						369.821		0.000	0.000	9.000	9.000	9.000			
योग :-															

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		Online प्रसंग	मार्च 2021 तक व्यय	वर्ष 2021-22 में			योजना पर कुल आवंटन (9+12)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	1	पू० सिंहभूम	चकुलिया	पलपला मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	173.413	1220 / 02.11.2021	0.000	0.000	20.000	20.000	20.000	85520	
23	2	पू० सिंहभूम	चकुलिया	बीया बांधी राज बांध का जीर्णोद्धार		25.812		0.000	0.000					
24	3	पू० सिंहभूम	पटमदा	कसमार मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		75.897		0.000	0.000					
25	4	पू० सिंहभूम	बोराम	हथियाडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		26.514		0.000	0.000					
26	5	पू० सिंहभूम	पोटका	जुरी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		13.13881		0.000	0.000					
27	6	पू० सिंहभूम	पोटका	छोटा सिंगडी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		73.988		0.000	0.000					
28	7	पू० सिंहभूम	घाटशिला	झारबेरा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		48.221		0.000	0.000					
29	8	पू० सिंहभूम	घाटशिला	पुनगोरा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		54.584		0.000	0.000					
30	9	पू० सिंहभूम	बहरागोड़ा	अरांग मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		30.259		0.000	0.000					
31	10	पू० सिंहभूम	बहरागोड़ा	पथरा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		44.14145		0.000	0.000					
32	11	पू० सिंहभूम	बहरागोड़ा	ग्राम खण्डमौदा में सितला तालाब का जीर्णोद्धार	योग :-	31.061		0.000	0.000	20.000	20.000	20.000	85502	
33	12	पू० सिंहभूम	बहरागोड़ा	दिगबरदा सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार		48.316		0.000	0.000					
34	13	पू० सिंहभूम	धालभूमगाढ़	जनरनाथपुर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		31.19725		0.000	0.000					
35	14	पू० सिंहभूम	गुड़ाबांधा	माछमंडार म0सि0यो0 का जीर्णो0		24.481		0.000	0.000					
36	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार	लातेहार	उदयपुरा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		81.417		0.000	0.000					
37	2	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार (LTRMIR001)	लातेहार	खुंटगड़ी बांध का जीर्णोद्धार	योग :-	46.238	1463/ 25.09.2019	0.000	0.000	10.000	10.000	10.000		
					सकल योग :-	127.655		0.000	0.000	60.000	60.000	60.000		
					आवृत्ति राशि - रुपये तीन करोड़ अठानवे लाख मात्र।	3,339,943		0.000	0.000	398.000	398.000	398.000		

(राशि लाख रुपये में)

321
10/03/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव